न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 36 / 2023

अनवान : –

1. हनुमान प्रसाद पुत्र श्योनारायण जाति ब्राहमण निवासी धानसिया तहसील नोहर।

–प्रार्थी

बनाम्

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर।

– अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र रिकार्ड दुरस्ती
अन्तर्गत धारा 136 लैण्डरैवेन्यू एक्ट

उपस्थिति :– श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता **प्रार्थी**
राजपेरोकार

निर्णय **दिनांकः** 19/02/26

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट. के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा धानसिया तहसील नोहर के खाता स0 488 / 480 की कुल 33.2061 हैक्ट भूमि में से 11227 / 332061 हिस्सा भूमि प्रार्थी के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उक्त राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी हनुमान पुत्र सोहन दर्ज है जबकि प्रार्थी का सही व वास्तविक नाम हनुमान प्रसाद पुत्र श्योनारायण है जो की प्रार्थी के समस्त दस्तावेजों में दर्ज है। राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम गलत दर्ज होने से प्रार्थी को विभिन्न प्रकार की परेशानीयों का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए प्रार्थी राजस्व रिकार्ड में अपना नाम हनुमान पुत्र सोहन के स्थान पर हनुमान पुत्र हनुमान प्रसाद पुत्र श्योनारायण दर्ज करवा पाने का अधिकारी है।

प्रार्थी ने अप्रार्थी संख्या 1 को काफी मर्तबा कहा कि प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर देवे जिससे प्रार्थी का कोई हिस्सा कम अथवा ज्यादा नही होना केवल नाम ही सशोधित होना है परन्तु अप्रार्थी संख्या 1 कुछ दिन तो आजकल करते रहे अंत में इन्कार हो गये इसलिए यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया है।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 पेरोकार राज ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया।

बहस वकील प्रार्थी सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया उक्त राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी हनुमान पुत्र सोहन दर्ज है जबकि प्रार्थी का सही व वास्तविक नाम हनुमान प्रसाद पुत्र श्योनारायण है जो की प्रार्थी के समस्त दस्तावेजों में दर्ज है। राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम गलत दर्ज होने से प्रार्थी को विभिन्न प्रकार की परेशानीयों का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए प्रार्थी राजस्व रिकार्ड में अपना नाम हनुमान पुत्र सोहन के स्थान पर हनुमान प्रसाद पुत्र श्योनारायण दर्ज करवा पाने का अधिकारी है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.03.04 12:49:47 IST
Reason: SelfAttested

Rahul.
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार कि रोही मौजा धानसिया तहसील नोहर के खाता स0 488/480 की कुल 33.2061 हैक्ट भूमि में से 11227/332061 हिस्सा भूमि प्रार्थी के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, उक्त राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम हनुमान पुत्र सोहन दर्ज है एवं प्रार्थी अपना नाम हनुमान पुत्र सोहन के स्थान पर हनुमान प्रसाद पुत्र श्योनारायण दर्ज करवाना चाहता है प्रार्थी के दस्तावेजों यथा आधार कार्ड, राशन कार्ड एवं सरपंच ग्राम पंचायत धानसिया की तस्दीक में प्रार्थी का नाम हनुमान प्रसाद पुत्र श्योनारायण है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है।

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआरएक्ट स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है रोही मौजा धानसिया तहसील नोहर के खाता स0 488/480 की कुल 33.2061 हैक्ट भूमि में से 11227/332061 हिस्सा भूमि **में प्रार्थी का नाम हनुमान पुत्र सोहन के स्थान पर हनुमान प्रसाद पुत्र सोहन उर्फ श्योनारायण का संशोधन किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जाता है।** यदि किसी न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो। अगर नाम संशोधन को लेकर कोई तथ्य छुपाया गया हो और निकट भविष्ट में प्रकट होता है तो प्रार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा। तहसीलदार नोहर को निर्णय की प्रति प्रेषित कर पालना हेतु पृथक से लिखा जावें।

निर्णय आज दिनांक 19/02/26 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया पत्रावली फैसला शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हों।

Rahul.

(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.03.04 12:49:47 IST
Reason: SelfAttested